बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

दिनांक–10.07.2026 को संपन्न पाक्षिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

सभी मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित उद्व्यय, अद्यतन आवंटन व्यय तथा लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिये गये है :-

2. सहयोग पोर्टल के लंबित मामलों पर किये जा रहे कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में मामलों के तय समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु सभी संबंधित अभियंताओं को सभी दस्तावेजों एवं आदेशों की सही तरीके से समीक्षा कर सही निष्कर्ष निकालते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संयुक्त सचिव अभियंत्रण)/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़)

3. संबंधित मुख्य अभियंता परिक्षेत्र में कराये गये कार्यो का विपत्र तैयार करने एवं आवंटन प्राप्त होने पर शीघ्र नियमानुकूल व्यय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिसकी समीक्षा आगामी बैठक में करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

4. सभी मुख्य अभियंता को Pole Shifting की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शीघ्र ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का पुनः निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़)

5. बाढ़ प्रक्षेत्र के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद (शीर्ष-2711) अंतर्गत बाढ़ संघर्षात्मक, तटबंध संपोषण, जंगल सफाई, विभागीय परिसंपत्तियों का रख-रखाव एवं अन्य कार्यों हेतु निर्गत आवंटन के विरूद्ध व्यय संतोषजनक नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया। आपदा एवं आकस्मिकता से संबंधित कार्य होने के कारण SoP के अनुरूप कार्यों को पूर्ण कराते हुए नियमानुकूल व्यय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

जिन प्रमंडलों द्वारा उक्त मद में अभी तक आवंटित राशि के विरूद्ध शून्य व्यय किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण की मांग करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, बाढ़ परिक्षेत्र/बाढ़ योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

6. (क) विधि पदाधिकारी द्वारा प्रदर्शित किया गया कि दिनांक-26.06.2026 तक कुल 49 मामलों में, दिनांक-03.07.2026 तक कुल 56 मामलों में विभागीय स्तर से प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया जाना लंबित रहा है।

वर्तमान सप्ताह दिनांक-08.07.2026 तक कुल 54 मामलों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया जाना लंबित है। वर्तमान सप्ताह में कुल 05 विभिन्न प्रकार के वाद विभाग के विरूद्ध दायर हुए है एवं वर्तमान सप्ताह में कुल 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया गया है।

वर्तमान सप्ताह में लंबित 54 वादों में से निर्धारित मानकानुसार कुल 24 वाद नये वाद की श्रेणी में है, कुल 12 वाद मुख्य अभियंताओं स्तर पर लंबित है एवं विभागीय स्तर पर कुल 18 वाद लंबित है।

विभागीय स्तर पर लंबित कुल 18 एवं मुख्यालय स्तर पर लंबित 12 वादों के संबंध में निदेशित किया गया कि सभी प्रकार के लंबित वादों को यथाशीघ्र निष्पादित निष्पादित किया जाय।

(कार्रवाई- सभी संबंधित मुख्य अभियंता)

(ख) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय से उनके प्रमंडलांतर्गत अबतक लंबित CWJC- 20252/2025 में प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता,बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

7. वर्तमान खरीफ सिंचाई एवं बाढ़ अवधि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सभी अभियंताओं को अपने प्रक्षेत्र में सतत् निगरानी करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन Drishti App पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य अभियंताओं द्वारा इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में मुख्य अभियंता, यांत्रिक को उनके परिक्षेत्राधीन अभियंताओं द्वारा Drishti App पर किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा करने का पुनः निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित))

8. संकल्प पोर्टल पर 100 करोड़ रूपये से अधिक राशि की योजनाओं को अपलोड करने की समीक्षा के क्रम में योजनाओं में मुख्य मुद्दों हाईलाईट करते हुए पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

साथ ही विगत 100 दिनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड बनाकर पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4/बाढ़)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/-
(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक-........................

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/-
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक-........................

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, को सादर सूचनार्थ।

ह0/-
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक-........................

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 592 पटना, दिनांक–15/07/24

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 592 पटना, दिनांक–15/07/24

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 592 पटना, दिनांक–15/07/24

प्रतिलिपि :– श्री मनोज रमण, तकनीकी परामर्शी/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/ प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/ स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक– 1/PMC/योजना/20/2024 592 पटना, दिनांक–15/07/24

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार